

## निगम आयुक्त श्री झारिया ने निगम कार्यालय में किया सरस्वती पूजन

रतलाम 6 नवम्बर । नगर निगम कार्यालय पर सरस्वती तथा कलम दवात का पूजन निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम अधिकारी श्री जी.के. जायसवाल, श्री मोहम्मद हनीफ शेख एवं कर्मचारियों के साथ किया ।

सरस्वती पूजन के अवसर पर निगम अधिकारी एवं कर्मचारी सर्वश्री एम.के.जैन, बी.एल. चौधरी, ए.पी. सिंह, सुभाष गोयल, रामचन्द्र शर्मा, गोपाल झालीवाल, राजेन्द्र राठौर, सुरेन्द्र आर्य, देवेन्द्र पुरोहित, राजेन्द्रसिंह राठौर, राजेन्द्रसिंह गेहलोत, हेमन्त सोलंकी, प्रवीण तिवारी, अकरम मलिक आदि उपस्थित थे ।

## स्वच्छता का मतलब स्वस्थ्य होने की अवस्था है

दीपावली संकल्प जागरुकता अभियान के समापन अवसर पर विभिन्न गतिविधियों के साथ ही स्वच्छता मित्रों का सम्मान किया गया

रतलाम 6 नवम्बर । जीवन में स्वच्छता से तात्पर्य स्वस्थ्य होने की अवस्था से भी है। स्वच्छता एक अच्छी आदत है जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है। यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। नगर निगम स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत अपने स्तर से शहर को स्वच्छ और स्वस्थ्य रखने के तमाम प्रयास कर रहा है। अब जरुरी है कि नागरिक भी बढ़—चढ़ कर अपनी भागीदारी निभाए ताकि रतलाम शहर को देश में नम्बर—1 बनाया जाए ।

उक्त बात नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने शनिवार को दीपावली संकल्प जागरुकता अभियान के समापन अवसर नगर निगम परिसर में आयोजित एक समारोह में संबोधित करते हुए कही। इस मौके पर विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के दौरान व्यक्त की है। इस मौके पर सफाई मित्र समूह ने शहर के एक दर्जन से ज्यादा स्थानों पर रांगोलियों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश भी दिया। वही साफ—सफाई कार्य में जुटे सफाई संरक्षकों, कचरा संग्रहण वाहन चालक आदि का सम्मान प्रमाण पत्र देकर किया ।

श्री झारिया ने कहां कि महात्मा गांधी ने कहां था कि स्वच्छता ही सेवा है। हमारे देश के लिए हमारे जीवन में स्वच्छता की बहुत जरूरत है। गंदगी हमारे आसपास के वातावरण और जीवन को प्रभावित करती है। हमें व्यक्तिगत व आसपास की सफाई अवश्य करना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए ।

उन्होंने कहां कि सफाई का अर्थ सफाई रहने की आदत से है। सफाई रहने से जहां शरीर स्वस्थ्य रहता है वही स्वच्छता तन और मन दोनों की खुशी लिए आवश्यक है।

अभी कोरोना काल व वर्तमान में डेंगू जैसे रोगों से रोगियों की बढ़ती संख्या एवं अस्पतालों में साफ सफाई को ध्यान देने की आवश्यकता से यह बात स्पष्ट हो गई है कि जीवन में स्वच्छता की कितनी जरूरत है ।

श्री झारिया ने कहां कि स्वच्छता के मामले में हम रतलाम को नम्बर बना सकते हैं। नागरिक स्वच्छता को बनाए रखने में सहयोग करे। इधर—उधर कचरा फेंकने की आदत से मुक्त हो और अपने घर या दुकान के कचरे का निपटान कचरा संग्रहण वाहनों में ही करे। ये कहां भी गया है कि स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है। अतः स्वच्छता को अपनाए और अपने रतलाम शहर को देश में नम्बर—1 बनाए। इस मौके पर आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने समारोह में उपस्थित अधिकारी, कर्मचारी और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई ।

दीपावली संकल्प जागरुकता अभियान के तहत नगर निगम व सफाई मित्र समूह की टीम ने दीपावली उत्सव को लेकर नागरिकों से संयम बरतते हुए कचरे का निपटान संग्रहण वाहनों में करने की भी अपील की है ।

इस अवसर पर स्वास्थ्य अधिकारी जीके जायसवाल, झोन अधिकारी एपीसिंह, किरण चौहान, पर्वत हाड़े, विनय चौहान सहित सफाई मित्र समूह के सदस्य आदि उपस्थित रहे।

## 06 नवम्बर को 90 टन से ज्यादा कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 06 नवम्बर। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़कों व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 06 नवम्बर शनिवार को 90 टन से अधिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

06 नवम्बर शनिवार को डम्पर से 37985, ट्रेक्टर से 4905, काम्पेक्टर सूखा कचरा 25305 व काम्पेक्टर गीला कचरा 22535 किलो इस तरह कुल 90730 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

**सुभाषचन्द्र शॉपिंग काम्पलेक्स की दुकानें क्रय करने हेतु व्यापारी, दुकानदार व नागरिक 10 नवम्बर तक ऑन लाईन निविदा जमा करा सकते हैं**

रतलाम 06 नवम्बर। महू रोड स्थित सुभाषचन्द्र शॉपिंग काम्पलेक्स की 99 दुकानों के विक्रय किये जाने हेतु नगर निगम द्वारा निकाली गई ऑन लाईन निविदा की अंतिम तिथि में बढ़ोत्तरी की गई है जिसके तहत व्यापारी, दुकानदार, नागरिक 10 नवम्बर तक दुकान क्रय करने हेतु ऑन लाईन निविदा जमा करा सकते हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि शहर के मध्य, महू रोड सिटी फोरलेन स्थित सुभाषचन्द्र शॉपिंग काम्पलेक्स बस स्टैण्ड परिसर के समीप होकर विशाल पार्किंग के साथ बगैर किराये के उपलब्ध 99 दुकानों के विक्रय हेतु ऑन लाईन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर नियत थी। व्यापारी, दुकानदार व नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए निविदा की अंतिम तिथि में बढ़ोत्तरी की जाकर 10 नवम्बर की गई है।

नगर निगम द्वारा दुकानदारों व नागरिकों अपील की जाती है कि नगर निगम द्वारा व्यापारीबंधुओं, दुकानदारों व नागरिकों से अपील की जाती है कि अपनी दुकान-अपनी पहचान की तर्ज पर अचल संपत्ति अन्तरण नियम 2016 अनुसार दुकान क्रय करने हेतु ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेवें। ई-निविदा संबंधी अधिक जानकारी सुभाषचन्द्र शॉपिंग काम्पलेक्स में संचालित कार्यालय व नगर निगम विकास शाखा से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।

## 4105 पेंशन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन पेंशन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें वार्डवार केन्द्रों व घर-घर जाकर किया जा रहा है सत्यापन

रतलाम 06 नवम्बर। रतलाम शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन, मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का शासन निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर व

वार्डवार बनाये गये केन्द्रों पर किया जा रहा है जिसके तहत 03 नवम्बर मंगलवार को 40 पंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन किया गया इस तरह अब तक 4105 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 41 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

नगर निगम द्वारा पेंशन पाने वाले हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों को आवश्यक दस्तावेज बीपीएल राशन कार्ड, समग्र आईडी, बैंक खाते की पास बुक, निवासी, जन्म, आयु, चिकित्सक, निःशक्तता, आयकर दाता ना हो, पति की मृत्यु का प्रमाण—पत्र, अंक सूची, मतदाता सूची, मतदाता परिचय—पत्र, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जारी जाब कार्ड, उपलब्ध कराकर या वार्डवार बनाये केन्द्र वार्ड 1 अम्बेडकर मांगलिक भवन गांधी नगर, वार्ड 2 रामकला सभागृह लक्ष्मणपुरा, वार्ड 3 राठौड़ समाज धर्मशाला, वार्ड 4 महर्षी दयानन्द वैदिक विद्यालय, वार्ड 5 गुरु रामदास स्कूल विनोबा नगर, वार्ड 6 मार्निंग स्टार स्कूल इंदिरा नगर, वार्ड 7 अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, वार्ड 8 संतनामदेव पब्लिक स्कूल विनोबा नगर, वार्ड 9 साँई ऐकेडमी स्कूल 80 फीट रोड, वार्ड 10 सिंधी गुरुद्वारा मोहन नगर, वार्ड 11 बोधी स्कूल डोंगरे नगर, वार्ड 12 सुमंगल गार्डन कस्तुरबा नगर, वार्ड 13 अम्बेडकर कम्युनिटी हॉल जवाहर नगर, वार्ड 14 सरस्वती स्कूल काटजू नगर, वार्ड 15 मांगलिक भवन सुभाष नगर, वार्ड 16 काश्यप सभागृह सागोद रोड, वार्ड 17 उत्कृष्ट स्कूल सागोद रोड, वार्ड 18 शांति निकेतन टाटा नगर, वार्ड 19 राधाकृष्ण प्राथमिक विद्यालय दीनदयाल नगर, वार्ड 20 सरस्वती स्कूल अमृत सागर, वार्ड 21 नरसिंह वाटिका सिलावटो का वास, वार्ड 22 मानस भवन मोती नगर, वार्ड 23 ज्योति कान्वेंट स्कूल बाजाली नगर, वार्ड 24 सब्जी फिरोस जमातखाना सायर चबुतरा, वार्ड 25 सगरवंशी माली समाज धर्मशाला, वार्ड 26 संतमीरा स्कूल थावरिया बाजार, वार्ड 27 जमातखाना शैरानीपुरा, वार्ड 28 मांगलिक भवन दिलीप नगर, वार्ड 29 डीआरपी लाईन आनन्द कालोनी, वार्ड 30 काजीखान की मस्जिद जावरा रोड, वार्ड 31 शासकीय प्राथमिक स्कूल डोसीगांव, वार्ड 32 उजाला पैलेस स्टेशन रोड, वार्ड 33 लायंस हॉल पावर हाउस रोड, वार्ड 34 रोटरी हॉल अजंता टॉकिज रोड, वार्ड 35 मेंहदीकर्ई बालाजी नगर निगम, वार्ड 36 कान्वेंट स्कूल मित्र निवास रोड, वार्ड 37 लॉ कॉलेज आनन्द कालोनी, वार्ड 38 जमातखाना शैरानीपुरा, वार्ड 39 शासकीय प्राथमिक स्कूल शैरानीपुरा, वार्ड 40 श्रीमाली धर्मशाला, वार्ड 41 मोहन टॉकिज, वार्ड 42 माहेश्वरी धर्मशाला कसारा बाजार, वार्ड 43 गणेश मांगलिक भवन रामबाग, वार्ड 44 बोहरा कम्युनिटी हॉल बोहरा बाखल, वार्ड 45 शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल माणक चौक, वार्ड 46 आईएमए हॉल राजेन्द्र नगर, वार्ड 47 मदरसा तालीमुल कुरआन नयापुरा हाट रोड, वार्ड 48 सूरजहॉल वेदव्यास कालोनी, वार्ड 49 सिखवाल धर्मशाला ब्राम्हणों का वास तथा नगर निगम के आईटी सेल में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवायें।

## नगर निगम द्वारा अब तक 7563 आयुष्मान कार्ड बनाये गये

निगम के आईटी सेल में हितग्राही बनवाये आयुष्मान कार्ड

रतलाम 06 नवम्बर । आयुष्मान भारत “निरामयम्” योजना अन्तर्गत रतलाम नगर के पात्र हितग्राहियों के निःशुल्क बनाने का कार्य नगर निगम के आईटी सेल कार्यालय में कार्यालयीन समय में बनाये जा रहे हैं जिसके तहत 1 से 31 अक्टूबर तक 191 हितग्राहियों के कार्य बनाये जा चुके हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि गरीब एवं असहाय परिवारों पर बीमारियों पर खर्च होने वाले आर्थिक बोझ एवं गुणवत्तापूर्वक इलाज समय पर उपलब्ध कराये जाने हेतु आयुष्मान भारत “निरामयम्” योजना के तहत नगर के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड नगर निगम के विकास शाखा स्थित आईटी सेल में बनाये जा रहे हैं। नगर निगम विकास शाखा स्थित आईटी सेल में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा 32 दिनों में 191 हितग्राहियों के कार्य बनाये जा चुके हैं। इससे पूर्व वार्डवार गठित दलों व उचित मूल्य

की दुकानों पर 7316 कार्ड बनाये गये थे इस तरह अब तक 7563 आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं।

आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया है कि रतलाम नगर के शेष रहे हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाये जाना है। पात्र हितग्राहियों और उनके परिवार सदस्यों का पंजीयन किये जाने हेतु आधार कार्ड व समग्र आईडी दस्तावेज के रूप में लिये जावें।

## 1770 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

### स्वरोजगार ऋण से 30 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 06 नवम्बर। नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूँजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूँजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के ज्ञोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूँजी हेतु 1707 हितग्राहियों को राशि रूपये 10,000/- तथा द्वितीय कार्यशील पूँजी हेतु 63 हितग्राहियों को राशि रूपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 35 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 2 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

## अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही 15 हजार रुपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि वसूल

रतलाम 06 नवम्बर। शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलों के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रुपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलों को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रुपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

## डेंगू से बचाव हेतु प्रत्येक ज्ञोन में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव निरंतर जारी

रतलाम 06 नवम्बर। कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नागरिकों को मच्छर जनित डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारी से बचाव हेतु नगर प्रत्येक ज्ञान में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव का कार्य निरंतर जारी है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने इस अवसर पर बताया कि शहर में बढ़ रहे डेंगू व मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार प्रत्येक ज्ञान में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से नगरनिगम व मलेरिया विभाग द्वारा रूट चार्ट अनुसार सुबह 05:30 से 08:00 बजे तक व शाम को 06:00 से रात 10:00 बजे तक किया जा रहा है साथ ही प्रत्येक वार्ड में एक-एक हैण्ड स्प्रे मशीन से भी कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

## नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 06 नवम्बर। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगाये एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

## गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 06 नवम्बर। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनों पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

## वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 06 नवम्बर। स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड

के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले—नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ—सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ—सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 06.11.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.